न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ील संख्या : 15/545

मोहन आत्मज केल्या जाति भील निवासी ग्राम मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :-

1/1. हनुमान आयु 32 वर्ष

1/2. महावीर आयु 29 वर्ष पिसरान मोहन जाति भील निवासी ग्राम मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

1/3. भूरी बाई विधवा मोहन जाति भील निवासी ग्राम मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. कान्हा उर्फ नन्दा आत्मज भैरू जाति भील निवासी ग्राम मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 12.06.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 के अन्तर्गत ग्राम मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 18 बीघा 02 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।
3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2015 द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।
4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णय पारित करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय राजस्व लोक अदालत की भावना के विरूद्ध पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । प्रस्तुत प्रकरण में स्वत्व अधिकारों का निर्धारण होना है जिसमें अपीलान्ट को जवाबदावा एंव सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि वह प्रस्तुत प्रकरण में व्यथित पक्षकार है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 01.07.2015 निरस्त फमराया जावे ।

7. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जब राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णय पारित करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट जो व्यथित पक्षकार है उसे पक्षकार बनाये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को जवाबदावा एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट एवं अन्य पक्षकारान को सुनवाई एवं जवाबदावा आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 30.07.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

9. निर्णय आज दिनांक 12.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा